[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-A(3)-3/2023 dated / 09 /2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

Government of Himachal Pradesh
State Taxes and Excise Department

No. EXN-A(3)-3/2023 Dated: Shimla-171002, 16.09.2023

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendment in Schedule-I appended to the Act ibid, with immediate effect, namely:-

AMENDMENT

In Schedule-I appended to the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999, in item No. 17, in column 3, for the words, signs and figures "Rs. 7.50 per bag of 50 Kgs", the words, signs and figures "Rs. 11.00 per bag of 50 Kgs." shall be substituted.

By Order

Principal Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. EXN-A(3)-4/2023 Dated: Shimla-02, 16.09.2023

Copy to the following for information and necessary action:

1. The Pr. Secretary (GAD) to the GoHP w.r.t. item No. 15 of Cabinet meeting dated 14.09.2023.
2. LR-cum- Secretary (Law) to the GoHP, Shimla-02.
3. Commissioner ST&E, HP, Shimla-09.
4. The Addl./Joint/Deputy Commissioner of ST&E (SZ/CZ/NZ) Shimla/Mandi and Palampur, H.P.
5. The Joint Commissioner of ST&E, Flying Squad (NZ Palampur, SZ Parwanoo, CZ Una) in HP.
6. All the DCST&E, H.P.
7. Guard file.

State Taxes
Dy.No 14287
21 SEP 2023

Special Secretary (ST&E) to the
Govt. of Himachal Pradesh

Spdt (AT)

Addl. Commissioner State Taxes & Excise (Gr-I
Himachal Pradesh 19/9/23

16-9-23

Bhuvnesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

संख्याः ई0एक्स0एन0–ए (3)–3/2023 तारीखः शिमला–02 16.09.2023

<u>अधिसूचना</u>

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची–। में तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 से संलग्न अनुसूची–। में, मद संख्या 17 के सामने स्तम्भ 3 के अन्तर्गत "50 किलोग्राम की प्रत्येक बोरी पर 7.50/– रूपये" शब्दों, अंको और चिन्हों के स्थान पर "50 किलोग्राम की प्रत्येक बोरी पर 11.00/– रूपये" शब्द, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः ई0एक्स0एन0–ए(3)–3/2023 तारीखः शिमला–02. 16.09.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन) हि0 प्र0 सरकार को मन्त्रीमण्डल की बैठक दिनांक 14.09.2023 की मद संख्याः 15 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अति0–विधि परामर्शी एवं अति0 सचिव (विधि) हि0प्र0 सरकार।
3. आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हि0 प्र0, शिमला–09
4. अतिरिक्त/संयुक्त/उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, दक्षिण क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र, शिमला, मण्डी एवं पालमपुर, हि0 प्र0।
5. संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, उड़न दस्ता, दक्षिण क्षेत्र, परवाणु/ उत्तरी क्षेत्र पालमपुर/ मध्य क्षेत्र ऊना हि0 प्र0।
6. समस्त उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हि0 प्र0।
7. सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, रिकांगपियो, ज़िला किन्नौर, हि0 प्र0।
8. संरक्षण नस्ति।

विशेष सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।